न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 08 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री जमाल खां पुत्र श्री अकबर खां जाति मोईला मुसलमान निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही। 2. श्री नने खां पुत्र श्री अकबर खां जाति मोईला मुसलमान निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 101 दिनांक 09.12.1986 मिसल संख्या 84–85 / 39 दिनांक 17.03.1985 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। उक्त विवादित पट्टा तत्कालीन पंचायत द्वारा सामान्य नियम 1961 के नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर एवं अनियमितता कर जारी किया गया है। यह है कि ग्राम झाडौली में प्रार्थी के पिता स्व. श्री अकबर खां पुत्र श्री अल्लाउद्दीन के कब्जे व स्वामित्व की भूमि आई हुई थी, जिसका उपयोग व उपभोग स्व. श्री अकबर खां ने [illegible] किया तथा उनकी मृत्यु पश्चात उनके तीनों पुत्रों श्री नने खां, श्री कारि[illegible] खां [illegible] जमाल खां द्वारा किया जा रहा है तथा तीनों भाईयों ने आपसी [illegible] से उक्त [illegible] के तीन हिस्से कर रखे थे तथा तीनों भाईयों ने यह तय कर रखा था कि ग्राम पंचायत से उक्त सम्पत्ति के नियमानुसार हक हिस्से अनुसार पट्टे बनवा [illegible] अप्रार्थी संख्या दो ने [illegible] भाईयों को सूचना दिए बगैर तथा उसके हक हिस्से से अधिक भूमि का नियमानुसार [illegible] पंचायत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसने गलत रूप से 60 गुना 25 कुल 1500 वर्गफीट का पट्टा अपने हक में जारी करवा दिया, जिसकी चतुर्दशी भी मेल नहीं खाती है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को चतुर्दशी के बारे में जानकारी होने पर ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि वह उक्त अवैध पट्टे को निरस्त करते लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त अवैध पट्टे को निरस्त नहीं कर कानून से परे जाकर उक्त पट्टे की चतुर्दशी को ही निरस्त किया तथा दिनांक 10.04.1999 को अलग से दूसरी चतुर्दशी पट्टे के पीछे अंकित कर दी, जबकि इस प्रकार से अलग से चतुर्दशी अंकित करने का अप्रार्थी संख्या एक को कानूनन हक व अधिकार नहीं है, जिससे पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व स्व. श्री अकबर खां के वारिसान को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही आपत्ति नोटिस जारी किया एवं न ही विधिवत मिसल का संधारण किया है, जिससे यह पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर उक्त पट्टे के लगती शेष भूमि का पट्टा अपने नाबालिग पुत्र श्री सिकन्दर खां के नाम से जारी करवा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो ने अपने अन्य भाईयों की भूमि हडप करने के बदईरादे से ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर उक्त अवैध पट्टे जारी करवाए गए है तथा अप्रार्थी संख्या दो इन पट्टों की आड में अपने भाईयों को उक्त सम्पत्ति से बेदखल करने पर तुला है तथा उन्हें धमकाता रहता है और उक्त सम्पत्ति के उपयोग उपभोग में प्रार्थी के साथ बाधा उत्पन्न करता है, जिससे इन पट्टों को कानूनन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 101 दिनांक 09.12.1986 वर्गफीट 1500 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 266 के तहत 600 रूपये लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है एवं पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा था एवं उसी के आधार पर नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया किया गया है। उक्त पट्टे की भूमि पुश्तैनी भूमि न होकर अप्रार्थी संख्या दो के कब्जे स्वामित्व की भूमि है। यह है कि ग्राम झाडौली में प्रार्थी के पिता श्री अकबर खां पुत्र श्री अलाउद्दीन की कोई कब्जे स्वामित्व की भूमि नहीं थी और न ही उनके द्वारा इसका उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा था एवं न ही उनकी मृत्यु पश्चात तीनों भाईयों के द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त सम्पत्ति को तीनों भाईयों की सम्पत्ति होने का कथन गलत किया गया है, जबकि उक्त सम्पत्ति का पट्टा तीनों भाईयों के नाम से बनवाने का कभी भी तय नहीं किया गया था। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत से वर्ष 1986 में अपने नाम से पट्टा बनवाया था बाद में उक्त पट्टेशुदा भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटन होने से ग्राम पंचायत द्वारा स... को अन्य जगह शिफ्ट किया और दिनांक 10.04.1999 को ग्राम पंचायत द्वारा ... उक्त पट्टों पर नई चतुर्दशी दर्ज कर पुराने पट्टों की जगह ... जारी किए गए। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई कूट रचित कार्यवाही नहीं की गई ... संख्या 8 दिनांक 10.04.1999 के द्वारा ही नई चतुर्दशी अंकित की है। यह है कि प्रार्थी का उक्त सम्पत्ति पर कोई हक अधिकार नहीं है, केवल अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा संख्या 101 दिनांक 09.12.1986 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत 600/– रूपये शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में उक्त विवादित पट्टा संख्या 101 दिनांक 09.12.1986 को जारी किया गया था, लेकिन बाद में उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटित हो गई थी, जिस पर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 10.04.1999 द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि में से अन्यत्र जगह स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित पट्टे में अंकित चतुर्दशी का मिलान नहीं हो रहा है, इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटित हो जाने से ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को अन्य जगह आवंटित की गई थी, जिसकी चतुर्दशी ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में अंकित की है। जहां तक उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जे होने का सवाल है तो पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा था। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि प्रार्थी श्री जमाल खां एवं उनके भाई श्री कासम खां एवं अप्रार्थी संख्या दो श्री नने खां की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर तीनों भाईयों का हक हिस्सा है, परन्तु अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर पट्टा बनवा लिया गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि प्रार्थी श्री जमाल खां एवं उनके भाई श्री कासम खां एवं अप्रार्थी संख्या दो श्री नने खां की पुश्तैनी भूमि है एवं न ही इस सम्बन्ध में प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी अधिववक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि पुश्तैनी भूमि है और न ही उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि पर अपना स्वयं का कब्जा होना साबित कर पाए है। यदि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि पुश्तैनी भूमि भी है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर पट्टा बनवा लिया गया है, तो उसके लिए बंटवारे से सम्बन्धित वाद सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा जारी पट्टा संख्या 101 में अंकित चतुर्दशी को निरस्त कर ग्राम पंचायत द्वारा बैठक में प्रस्ताव पारित कर नई चतुर्दशी स्थापित की गई है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होने के उपरान्त पट्टे के किसी भी भाग में अपने स्तर पर संशोधन करने, कांट–छांट करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या दो की पट्टेशुदा भूमि कब्रिस्तान में आने पर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की चतुर्दशी को निरस्त कर नई चतुर्दशी स्थापित करने के स्थान पर पट्टा संख्या पट्टा संख्या 101 दिनांक 09.12.1986 को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाया जाना चाहिए था एवं अवाप्ति हेतु ली गई भूमि के बदले अन्यत्र जगह भूमि का पट्टा नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 101 दिनांक 09.12.1986 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत झाडौली को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो की अवाप्त होने वाली भूमि के बदले अन्यत्र उपलब्ध दी गई भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, [redacted] जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner